

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 9.11.2021

**::आज्ञा::**

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	अभिषेक मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
2.	मधुबाला सैनी कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर Ph.D. RET 2021 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
3.	उर्वशी व्यास कनिष्ठ विधि अधिकारी	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
4.	अभिजीत त्रिवेदी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
5.	अभिषेक गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	1. हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु। 2. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
6.	ललित बन्धु शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	देवस्थान विभाग, उदयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
7.	बाबूलाल मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।

**शर्त:-**

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

*(पुरुषोत्तम लाल सैनी)*  
संयुक्त शासन सचिव  
9.11.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

*(संयुक्त शासन सचिव)*  
9.11.2021